(राजस्थान–सरकार)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा) जोधपुर

क्रमांक–महात्मा गांधी नरेगा/प्रशि./सामा.अंके./2022–23/15927 दिनांक 17/10/22

–:– विज्ञप्ति –:–

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के जिला स्तर पर आवंटित पदो के लिये संविदा मानदेय आधार पर एक वर्षं के लिये अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन दिनांक 31.10.2022 तक आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र. सं.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताऐं			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी / प्रशैक्षणिक योग्यता	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	105	500/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रोद्यौगिक/ कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाए जा रहे है कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RS-CIT)	21–64 वर्ष अधिकतम	31.10.2022

विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जिले की वैबसाईट www.jodhpur.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन पत्र केवल ईमेल आईडी socialaudit.jodhpur2022@gmail.com दिनांक 31.10.2022 मध्यरात्रि 12:00 बजे तक स्वीकार किये जायेगे।

(हिमान्शु गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक–महात्मा गांधी नरेगा/प्रशि./सामा.अंके./2022–23/15928–34 दिनांक 17/10/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक/एसीपी सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग जोधपुर को भेजकर लेख है कि संलग्न विभागीय पत्र दिनांक 07.10.2022 के अनुसार विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला वैबसाईट पर अपलोड करे। जिला वैबसाईट पर ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन के प्रारूप हेतु मेन्यूबार में "ऑनलाईन एप्लीकेशन" नाम से सृजित करे। ऑनलाईन एप्लीकेशन मेनू में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन का प्रारूप PDF फार्मेट में अपलोड करे।
3. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी जिला जोधपुर।
4. संपादक दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका जोधपुर आगामी अंक में स्थानीय संस्करण में न्युनतम आकार में डीपीआर दर पर प्रकाशित कर बिल कार्यालय जिला परिषद जोधपुर, महात्मा गांधी नरेगा शाखा में दो प्रति में तैयार कर प्रस्तुत करे।
5. लेखाधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद जोधपुर को भुगतान कार्यवाही हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(हिमान्शु गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
जिला कलक्टर, जोधपुर

(राजस्थान–सरकार)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा) जोधपुर

क्रमांक–महात्मा गांधी नरेगा/प्रशि./सामा.अंके./2022–23/15935 दिनांक 17/10/22

–:– विज्ञप्ति –:–

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिये ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिये ग्रामीण विकास विभाग (MoRD), भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देश/अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (मासिक आधारित) पर निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष के लिये चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र जिला परिषद स्तर पर ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते है:–

क्र. सं.	सेवा का नाम	पदों की संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताऐं			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी / प्रशैक्षणिक योग्यता	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	105	500/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रोद्यौगिक/ कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाए जा रहे है कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RS-CIT)	21–64 वर्ष अधिकतम	31.10.2022

आवेदन हेतु दिशा निर्देशः–

1. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया सम्पादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों का चयन संबंधित विनियम 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश 10/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार ऑनलाईन (Online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वैबसाईट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र ऑनलाईन (Online) लिये जायेगे।

   अ. केवल ऑनलाईन (Online) आवेदन लिये जायेगे।

   ब. सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Applications Form) में समस्त वांछित सूचनायें आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला कार्यालय जोधपुर की वैबसाईट www.jodhpur.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों, दिशा–निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ ले तथा इनमें दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन भरे। आवेदक अपना ऑफलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले की सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गयी है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योकि एकबार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिनकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

   ऑनलाईन आवेदन :– आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन एवं आवेदन शुल्क की फोटो प्रति ईमेल आईडी socialaudit.jodhpur2022@gmail.com पर अपना आवेदन पत्र PDF फॉरमेट में आवश्यक संलग्नों के साथ ईमेल करना सुनिश्चित करे, ईमेल फाईल 5 MB से ज्यादा न हो। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।

2. परीक्षा शुल्कः– आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100₹ Director, SSAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा (IFSC Code- SBIN0031031) के खाता संख्या 38872762396 में जमा करावे तथा

उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ईमेल पर भिजवाये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति.पिछडा वर्ग के आवेदको को आवेदन शुल्क जमा करवाने से छुट होगी।

3. पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तेः– सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक एफ 61(21)/SSAAT/नियमावली/23019/7497–7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की पालना की जावे। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु, शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं नियमानुसार है जिनके लिये सोसायटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे।

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिये निम्नलिखित अर्हताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैः–

1. शैक्षणिक योग्यता– पुरूष एवं महिला वर्ग के लिये स्नातक या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण।
2. प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता–RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयु– आवेदक की आयु आवेदन की अंतिम तिथि को 21 से 64 वर्षं के मध्य होनी चाहिये। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्षं की आयु तक या राज्य सरकार के नियमो के अनुसार ही सामाजिक कार्यं करने की पात्रता रहेगी।
4. आवेदक सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिये।
5. आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी पात्र होगे।
6. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ होना चाहिये।

4. **चयन प्रक्रियाः–**

1. उपरोक्त सभी अर्हताओं के लिये निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे।
   क. उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 (1) (2) एवं (3) के लिए संबधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाएं, प्रमाण पत्र।
   ख. बिन्दु संख्या 3 (5) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।
   ग. बिन्दु संख्या 3 (6) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
   घ. बिन्दु संख्या 3 (4) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्यं एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हों।
2. आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमे 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
3. आवेदन की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से तीन गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।
4. लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदो के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशौक्षिणक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्ताकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।
5. आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आंवटित नही किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण–पत्र आधार माना जावेगा।
6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के (संविदा कार्मिकों) चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण/रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जावेगी।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ई-मेल socialaudit.jodhpur2022@gmail.com पर केवल ऑनलाईन प्राप्त किये जावेगे।

5. **ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक** 17/10/22 से 31.10.2022 तक की मध्य रात्रि 12 बजे तक socialaudit.jodhpur2022@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकेगा।

6. मेरिट बनाना एवं दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों का सत्यापन :-
    1. दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगें। इनमें किसी भी प्रकार की अवैद्यानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
    2. दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जावेगा और इसके पश्चात् ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसायटी की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वें इस कार्य हेतु रूचि नही रखतें है वरीयता सूची में सम्मिलित नही किया जावेगा।

7. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवायें लिया जाना प्रस्तावित है, वे पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत् कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल एक वर्ष का अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेंगी। वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी/संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिये अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नही करेगें क्योंकि ये सेवायें पूर्णतः अस्थायी एवं मासिक संविदा आधारित है।
8. कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगें।
9. उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उससे समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्षा, कार्यकारी समिति (EC) SSAAT को प्राप्त होगें।
10. विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्यायक्षेत्र केवल जिला न्यायालय जोधपुर होगा।

संलग्नः-1. आवेदन पत्र।
2. विनियम 2020

(हिमान्शु गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
जिला कलक्टर, जोधपुर

जिला – जोधपुर

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का नाम ....जन्म तारीख.....................आयु.............(दिनांक31.10.2022 को) वर्ष ....मास...........
पिता/पति का नाम.................................. माता का नाम................................विवाहित स्थिति..................... वर्ग.........
विशेष वर्ग .... वार्षिक पारिवारिक आय...................... मोबाईल नं.......................................ई मेल...................................
स्थाई पता...गॉव का नाम....................................ग्राम पंचायत का नाम...
पंचायत समिति का नाम.....................................जिला ....आधार नं...
पत्राचार का पता...

शैक्षणिक योग्यता

क सं	परीक्षा का नाम	विषय समुह	बोर्ड/विश्व विधालय का नाम	रोल नम्बर	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

तकनीकी योग्यता

क सं	परीक्षा का नाम	विषय समुह	बोर्ड/विश्व विधालय का नाम	अनुकमांक	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

क्या आप शारीरिक से समर्थ एवं स्वस्थ है? हा/नहीं

क्या आपने कभी निम्निलिखित के साथ काम किया है/अनुभव हॉ/नही यदि हॉ तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

क सं	पद का नाम	अवधि से	अवधि तक	सेवा की अवधि	प्राप्त मासिक वेतन	कर्तव्य की प्रकृति
1	ग्रा.वि.विभाग/पंचायती राज					
2	सामाजिक अंकेक्षण					
3	गैर सरकारी संगठन					

डिबारमेंट/अपराधिक मामलों का विवरण

क्या किसी बोर्ड/लोक सेवा आयोग में आपको अपनी प्रतियोगिता/भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों आदि के प्रयोग के लिए वर्जित किया है। हॉ /नही

क्या अपको कभी, किसी अपराध के लिए सजा हुई है। हॉ /नहीं

दिनांक

भवदीय

...ति में ही लिखित परी...
...कम) कम होने पर या...
...1.5 गुणा आवेदकों ...
...संबंधी मापदण्डों के ...
...पर नियुक्ति

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020

क्रमांक एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/7497 दिनांक 12/3/2020

आदेश सं. 2/2020

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.5 एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.4 की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के सामाजिक अंकेक्षण कार्य को विधिवत रूप से क्रियान्वित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 निम्नानुसार होंगे :-

1. ये विनियम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी चयन संबंधी विनियम, 2020 कहलायेंगे।
2. ये विनियम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में संविदा के आधार पर लिये जाने वाले सामाजिक विकास विशेषज्ञ तथा राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु लागू होंगे।
3. इस प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग होंगे।
4. सोसायटी में उपरोक्त वर्णित मानव संसाधन के चयन एवं अनुबंध प्रकिया सम्बन्धी विनियम निम्नानुसार रहेंगे :-

अ – सामाजिक विकास विशेषज्ञ –

सामाजिक विकास विशेषज्ञ के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :-

i) शैक्षणिक योग्यता – कम से कम स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
ii) प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक
iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये ।
iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
vi) आवेदक सिविल सोसायटी का प्रतिनिधि हो, जिसे कम से कम 5 वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है ।

ब चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –
(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या अ–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
(ख) बिन्दु संख्या अ–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
(ग) बिन्दु संख्या अ–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
(घ) बिन्दु संख्या अ–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।

9

2

iii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरीयता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।

ब – राज्य संसाधन व्यक्ति –

राज्य संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

i) शैक्षणिक योग्यता – कम से कम स्नातकोत्तर/MSW (Master in Social Work) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

ii) प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक

iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये।

iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।

v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य

vi) आवेदक सिविल सोसायटी/स्वयं सेवी संगठन से होना चाहिये जिसे कम से कम 6 वर्ष का (Grass Root experience working on right based issues) होना चाहिये। सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –

(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या ब–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र

(ख) बिन्दु संख्या ब–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र

(ग) बिन्दु संख्या ब–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

(घ) बिन्दु संख्या ब–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है ।

iii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरीयता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।

स – जिला संसाधन व्यक्ति :–

जिला संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक है :–

i) शैक्षणिक योग्यता – कम से कम स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

– (vi) एवं (v)

ii) प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक
iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये ।
iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
vi) आवेदक सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिये, जिसे कम से कम 5 वर्ष का (Grass Root experience working on right based issues) होना चाहिये। सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –
(क)उपरोक्त बिन्दु संख्या स–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
(ख) बिन्दु संख्या स–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
(ग) बिन्दु संख्या स–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
(घ) बिन्दु संख्या स–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है ।

iii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्व 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरीयता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।

vi) आवेदनकर्ता को उसके गृह जिले (मूल निवास जिले) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण–पत्र आधार माना जावेगा ।

द – ब्लॉक संसाधन व्यक्ति :–

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

i) शैक्षणिक योग्यता – पुरूष वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
ii) प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्युटर कार्य में दक्षता अनिवार्य है।
iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये, परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी पात्र होंगें।
iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । संसाधन व्यक्ति की अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी ।
vi) आवेदक सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिये।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –

ग्रामीण विकास विभाग

...परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, रा... र

...01... 27725)

(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या द–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र

(ख) बिन्दु संख्या द–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र

(ग) बिन्दु संख्या द–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

(घ) बिन्दु संख्या द–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है ।

iii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

v) आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण–पत्र आधार माना जावेगा ।

vi) ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

vii) ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

य – ग्राम संसाधन व्यक्ति :–

ग्राम संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

i) कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थियों को पात्र माना जावेगा।

ii) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । संसाधन व्यक्ति की अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी ।

iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये, परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी पात्र होगें।

iv) ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण आदि के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

v) यदि उक्त बिन्दु सं0 (ii) के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो दसवीं पास कोई भी शिक्षित व्यक्ति चयन हेतु पात्र माना जायेगा।

vi) कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थी नहीं मिले तो इस शर्त में जिला चयन समिति/सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी उपयुक्त शिथिलता देने हेतु सक्षम होगी।

vii) सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्युटर में दक्षता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। दक्षता जॉचने के लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त टेस्ट लिया जा सकेगा।

चयन प्रक्रिया –

उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –

(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या य–(i) एवं (ii) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र

(ख) बिन्दु संख्या 4 (iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा प।

i) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी।

ii) आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुना से कम) कम होने पर उच्चतर शैक्षिक योग्यताधारी आवेदकों को प्राथमिकता से चयन किया जायेगा अथवा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी मापदण्ड (कक्षा 10 के प्राप्तांकों) के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iii) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों / आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) तैयार की जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

iv) आवेदनकर्ता को उसके गृह [illegible] ग्राम पंचायत (मूल निवास [illegible] ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा।

5. चयन प्रक्रिया के अन्य सामान्य बिन्दु :-

i) सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा इन निर्देशों के अनुसार सम्पादित की जावेगी। परन्तु वास्तविक कार्य सम्पादन में यदि कोई कठिनाइयाँ पेश आये तो सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी को इन्हीं निर्देशों द्वारा परिस्थिति [illegible] इन निर्देशों में परिवर्तन/शिथिलता देने हेतु सक्षम होंगे।

ii) चयन प्रक्रिया में सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क की राशि रूपये 100/- अथवा आकलन कर ऐसी उचित राशि रखी जावेगी, जो चयन कार्य के व्यय की राशि पूर्ति हेतु पर्याप्त हो, इस सम्बन्ध में [illegible] भी तय किया जावेगा।

iii) संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा स्वयं अथवा किसी उपयुक्त एजेन्सी के माध्यम से सम्पन्न करवाई जा सकती है।

कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में उपयुक्त संसाधनों / स्टाफ के अभाव में निर्णय लिया गया कि चयन प्रक्रिया हेतु किसी राजकीय संस्था यथा आरपीएससी, आरएसएसबी (जो नियुक्ति प्रक्रिया सम्पादन हेतु अधिकृत हो) अथवा अन्य कोई योग्य संस्था की सेवायें ली जावें, जिसमें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत सीधे ही (सिंगल निविदा के) अथवा खुली निविदा प्रक्रिया अपनाकर चयन संबंधी कार्य सम्पादन करवाया जा सके।

iv) संबंधित पदों हेतु आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जाना अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या कम पदों की संख्या से 3 गुणा से कम [illegible] योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा मात्र आवेदकों की वरीयता सूची (Merit List) तैयार की जावेगी।

v) लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशासनिक अनुभव [illegible] परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची (Merit List) तैयार की जावेगी।

vi) सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं सभी संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन हेतु अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

vii) संविदा कार्मिकों के चयन में राजस्थान सरकार के प्रचलित आरक्षण / रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना नियमानुसार की जावेगी।

viii) चयनित व्यक्तियों में से केवल एक वर्ष के लिए ही अनुबंध किया जावेगा एवं अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी / संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर अर्जी की जाकर आगामी एक वर्ष के लिए

9

5

नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। इस प्रकार पूर्व में कार्यरत नवीन अनुबंध हेतु उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों से अधिक कार्मिकों की आवश्यकता होने की स्थिति में केवल अतिरिक्त संविदा कर्मियों हेतु उपयुक्त चयन प्रकिया अपनाई जावेगी।

ix) सभी पात्र आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित कार्यालय में अथवा ऑनलाईन निर्धारित ई-मेल/वेब पोर्टल पर ही प्रस्तुत करेंगे।

x) भारत सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना के Annunal Master Circular 2019-20 के बिन्दू संख्या 10.1.4.2 के अनुसार सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य/जिला संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगीं :-

क- मुख्य सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि
ख-अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. वि.
ग- निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (Member Convenor)
घ- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के सामाजिक अंकेक्षण केन्द्र (Center for Social Audit)/सिविल सोसायटी संगठनों के राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/महिला बाल विकास विभाग/विधि विभाग के प्रतिनिधि

xi) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगीं :-

क- जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से न्यून पद धारी न हो।)
ख- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
ग- कोषाधिकारी
घ- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का प्रतिनिधि

xii) संबंधित ब्लॉक में ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगीं :-

क- उपखण्ड अधिकारी
ख- विकास अधिकारी, पंचायत समिति
ग- उप कोषाधिकारी
घ- सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का प्रतिनिधि

xiii) सभी पदो के लिए चयन हेतु आवेदन पत्रों की जांच, परीक्षा आयोजन किया जाना आदि समस्त कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्णय के अनुसार की जावेगी तथा विधिवत वरीयता सूची (Merit List) बनाकर नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी।

xiv) नियुक्ति प्रक्रिया एवं परिणाम आदि का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जावेगा।

6. <u>सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरान्त अनुबन्ध किये जाने की प्रकिया :-</u>

i) सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य संसाधन व्यक्ति/जिला संसाधन व्यक्ति/ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरान्त भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD), हैदराबाद के मार्गदर्शन में 30 दिवसीय सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जा सकेगा।

ii) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण का अनुभव होना आवश्यक है ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण के अनुभव की पूर्ति हेतु पूर्व वर्षो में सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु किये गये भुगतान बाबत प्रमाण पत्र संबंधित विकास अधिकारी की ओर से प्राप्त कर आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में तीन सामाजिक अंकेक्षण प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह चयन उपरान्त तीन माह की अवधि में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण सम्पादित कर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने उपरान्त ही अभ्यर्थी से विधिवत् एक वर्ष के लिए संविदा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करवाई जा सकेगी।

9

6

ग्राम संसाधन व्यक्तियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण होगा । प्रशिक्षण उपरान्त ही एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जा सकेगा ।

सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य संसाधन व्यक्ति/जिला संसाधन व्यक्तियों को भारत सरकार के निर्देशानुसार नियत मासिक संविदा राशि देय होगी।

ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को भारत /राजस्थान सरकार/सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्णयानुसार अनुमोदित दरों पर, दैनिक आधार पर मानदेय राशि का भुगतान किया जावेगा।

ब्लाक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति चयन के उपरांत पात्रता सूचि में से सूचीबद्व (List of Empanelled Resource Persons) रखे जावेंगे, जिनकी आवश्यकतानुसार दैनिक मानदेय भुगतान के आधार पर इच्छुक लोगों को सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।

किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा ।

उक्त विनियम श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की आई.डी. संख्या 1572/सी.एस./2020 दिनांक 11.03.2020 द्वारा अनुमोदित है ।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग सह अध्यक्ष,
कार्यकारी समिति (SSAAT)

क्रमांक एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/
दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, मा. उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
3. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष शासी निकाय SSAAT
4. निजी सचिव, श्रीमान् अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAAT
5. संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रा.वि.मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. निजी सचिव, श्रीमान प्रधान महालेखाकार, राजस्थान
7. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग,
8. निजी सचिव, शासन सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग,
9. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज विभाग,
10. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा,
11. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा. वि. विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAAT
12. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर को उन्हें प्रस्तुत सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों की पत्रावली पर भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में प्रेषित है।
14. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग
15. निदेशक, SSAAT सह सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति SSAAT
16. प्रभारी अधिकारी वेब साईट, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग को वैबसाईट पर इन विनियमों को स्थायी रूप से प्रकाशित कराने का श्रम करें।
17. रक्षित पत्रावली।

//
(रामावतार शर्मा)
निदेशक एवं सदस्य सचिव
कार्यकारी समिति, SSAAT

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान जयपुर

(E mail: DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN 2227725)

क्रमांक: एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/1805 दिनांक 27-11-2020

(आदेश.19/2020)

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 में संशोधन

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या–1.5 एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.4 की पालना में सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: एफ 61 (21) SSAAT /नियमावली / 2019 / 7497–7514 दिनांक 12.03.2020 के द्वारा जारी किये गये हैं।

वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के प्रकाश मे सोसायटी की कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 29.07.2020 में इन नियमों के प्रावधानों पर पुनः विचार विमर्श किया गया और निर्णय संख्या 2.8 के द्वारा इन नियमों में उपयुक्त संशोधन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में पूर्व में जारी किये गये संर्भित आदेश क्रमांक: एफ 61(21) SSAAT/नियमावली / 2019 / 7497–7514 दिनांक 12.03.2020 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:–

1. सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम,2020 में नियम–5(iv) लिखित परीक्षा आयोजन तथा नियम 5(V) शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता परीक्षाओं में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत के आधार पर चयन संबंधी प्रावधानों में निम्न संशोधन किया जाता है :–

   "सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए इन नियमों में लिखित परीक्षा आयोजन किये जाने के प्रावधान को कोविड -19 की परिस्थितियों को मध्यनजर हटाया जाता है। अब चयन हेतु लिखित परीक्षा के स्थान पर इन नियमों में प्रावधित केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Educational Qualification) में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर ही (प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों को शामिल किये बिना) वरीयता सूची बनाकर चयन प्रक्रिया संपादित की जावेगी।"

2. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों BRPs की प्रशैक्षणिक योग्यता के बाबत् उपरोक्त नियमों के प्रावधानों में नियम 4 (d) (ii)–"प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता–सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य है" में निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:–

   "Rajasthan Knowledge Corporastion Ltd.(RKCL) द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (RSCIT) या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा / डिग्री / प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा"।

BRP

3. सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु नियमानुसार (RTPP Act,2012 & RTPP Rules,2013 के प्रावधानानुसार) चयनित संस्था / संवेदक के माध्यम से केवल ऑनलाईन (Online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ आवेदन–पत्र लिए जावेंगे। अनुमोदित संस्था / संवेदक द्वारा आवेदकों की पात्रता संबंधी सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की जाकर पूर्ण पारदर्शिता पूर्वक सभी आवेदकों की सामान्य वरीयता सूची और आरक्षण हेतु अपेक्षित वर्गवार वरीयता

[illegible] अनुसार पूर्ण वस्तुनिष्ठता से (Objectively) तैयार की जाकर सोसायटी को उपलब्ध [illegible]।

[illegible] संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

[illegible] सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 [illegible] श्रीमान् मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, शासी निकाय (SSAAT) की आई.डी.संख्या [illegible] / 2020 दिनांक 26.8.2020 द्वारा अनुमोदित है।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)

[illegible] (24)SSAAT/नियमावली/2019 दिनांक

[illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

[illegible] सचिव, मा.मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
[illegible] सचिव मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष महो. शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं [illegible] सोसायटी (SSAAT)।
[illegible] अति मुख्य सचिव एवं सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही [illegible] सोसायटी (SSAAT)।
[illegible] सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ग्रा.वि. मंत्रालय, भारत–सरकार, नई दिल्ली।
[illegible] लेखाकार, राजस्थान।
[illegible] वित्त (बजट) विभाग।
[illegible] श्रम एवं रोजगार विभाग।
[illegible] एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
[illegible] महात्मा गांधी नरेगा।
[illegible] शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, [illegible] पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
[illegible] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
[illegible] शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग
[illegible] लेखाकार ग्रामीण विकास विभाग।
निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी(SSAAT)।
[illegible] अधिकारी वेबसाईट ग्रामीण विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / महात्मा गाँधी नरेगा, राजस्थान [illegible] को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग की वेबसाईट पर इन संशोधित विनियमों को स्थायी [illegible] प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
[illegible] / सहायक लेखाधिकारी–I / II / प्रोग्रामर
[illegible]

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)